

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)-४६२०३३

फोन : ०७५५-२७३४६९३, २६७८८६७

फैक्स : ०७५५-२७४२००६

ईपीएबीएस : ०७५५-२६७८८६९, २६७८८८९

ईमेल : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net

वेबसाईट : www.rgpv.ac.in



RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA

(State Technological University of Madhya Pradesh)

Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 462033

Phone : 0755 - 2734913, 2678897

Fax : 0755 - 2742006

EPABX: 0755 - 2678891, 2678881

Email : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net

Website : www.rgpv.ac.in

क्रमांक: एफ-5/रागाप्रौवि/शैक्षणिक/स्वायत्ता/2021/5467

दिनांक: 27/12/2021

अधिसूचना

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 26 की उपधारा (13) में प्रदत्त शक्तियों एवं परिनियम क्रमांक 37 "स्वाशासी महाविद्यालय" के कंडिका क्रमांक 21 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुये विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् एवं विद्वत परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में एवं समीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर शैक्षणिक स्वायत्ता निरंतर करने का अनुमोदन प्रदान करने हुये सम्राट अशोक अभियंत्रिकीय संस्थान, विदिशा को शैक्षणिक स्वायत्ता सत्र 2020-2021 से सत्र 2022-2023 हेतु अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ मान्य किया जाता है :-

01. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के निर्धारित मापदंडों के अनुसार शीघ्र की जावे।
02. महाविद्यालय में शोध एवं विकास कार्य हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावे।
03. महाविद्यालय परीक्षकों के पैनल माननीय कुलपति जी से अनुमोदित हों।
04. समस्त विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय में किया जावेगा।
05. शैक्षणिक स्वायत्ता सत्र 2020-2021 से सत्र 2022-2023 हेतु प्रभावशील रहेगी।

महाविद्यालय को उपरोक्त अंकित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर परिनियम क्रमांक 37 के पैरा 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान की जाती है :-

01. महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित निम्नलिखित प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान की गई है :-

सरल क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की ब्रान्च	प्रवेश क्षमता
01.	B.Tech.	Artificial Intelligence and Data Science	60
02.	B.Tech.	Civil Engineering	60
03.	B.Tech.	Computer Science & Engineering	120
04.	B.Tech.	Electrical Engineering	60
05.	B.Tech.	Electronics & Communication Engineering	60
06.	B.Tech.	Electronics & Instrumentation Engineering	120
07.	B.Tech.	Internet of Things (IoT)	60

Dear (Acad)
Registar
Dr. Anand
27/12/21



08.	B.Tech.	Mechanical Engineering	120
09.	B.Tech.	Agricultural Engineering	60
10.	B.Tech.	Computer Science & Engineering-IOT Cyber Security with Block Chain Technology	60
11.	B.Tech.	Construction Automation	60
12.	B.Tech.	Mechanical and Automation Engineering	60
13.	M.E.	Advanced Production Systems	18
14.	M.E.	Construction Technology and Management	18
15.	M.E.	Environmental Engineering	18
16.	M.E.	Power Electronics	18
17.	M.E.	Transportation Engineering	18
18.	M.Tech.	Computer Science & Enigneering	18
19.	MCA	MCA	30

02. महाविद्यालय को परिनियम क्रमांक 37 में अंकित विवरण के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में शैक्षणिक स्वायत्ता रहेगी।
03. महाविद्यालय को परिनियम क्रमांक 37 में प्रावधानित विभिन्न निकायों का गठन कर उसके माध्यम से शैक्षणिक स्वायत्ता का संचालन करना होगा।
04. महाविद्यालय के निकायों द्वारा शैक्षणिक विषयों पर यथा पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नियम, पाठ्यचर्या एवं उसमें सुधार एवं अन्य शैक्षणिक विषयों पर लिये गये निर्णयों से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को अवगत कराना होगा।
05. सभी निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित करनें होंगे।
06. महाविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफल माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के उपरांत घोषित होंगे एवं इन सभी परीक्षाओं के टेबूलेशन रजिस्टर पर नियंत्रक (परीक्षा) / उपकुलसचिव (परीक्षा) के प्रति हस्ताक्षर होंगे।
07. शैक्षणिक स्वयत्ता प्राप्त होने के पश्चात् भी महाविद्यालय को उन्हें सौंपे गये नोडल सेन्टर का कार्य भी यथावत् सम्पन्न करना होगा।
08. महाविद्यालय पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये सभी संबंधित परिनियम/अध्यादेश/विनियम लागू माने जावेंगे एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ उसके अनुसार ही संचालित होगी।
09. छात्रों को उपाधि/पत्रोंपाधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेंगी एवं इन उपाधि/ पत्रोंपाधि में शैक्षणिक स्वायत्ता शासी महाविद्यालय का नाम अंकित होगा।
10. विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के पर्यवेक्षण का अधिकार पूर्वत् रहेगा।
11. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में जारी की गई एवं समय-समय पर जारी की जाने वाली गाईड लाइन्स का अक्षरशः पालन करना होगा।
12. महाविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के नियमों एवं उनके समय-समय पर प्रसारित नियमों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।



13. प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय का संबद्धता आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क एवं शैक्षणिक स्वायत्ता शुल्क प्रचलित व्यावस्था के अनुसार जमा किया जाना सुनिश्चित करें।
14. महाविद्यालय को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 के अंतर्गत बनाये परिनियम क्रमांक - 37 में प्रावधानित सभी नियमों एवं व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ-5/रागाप्रौवि/शैक्षणिक/स्वायत्ता/2021/ 5468

दिनांक: 27 /12/2021

गन्तिलिपि:-

01. संचालक, सम्राट अशोक अभियंत्रिकीय संस्थान, विदिशा
02. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
03. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी खेल कम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
04. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, एयर पोर्ट बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल।
05. संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालनालय, चतुर्थ तल, सतपुडा, भवन, भोपाल।
06. विश्वविद्यालयीन शिक्षण विभाग, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
07. संचालक, यू.आई.टी., राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
08. नियंत्रक (परीक्ष/वित्त), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
09. माननीय कुलपति महोदय जी के निज सचिव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. कुलसचिव महोदय जी के निज सचिव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



कुलसचिव,

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।